

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय:—ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना” [Mukhya Mantri Gramin SETU Yojana (MGSY)] के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

“मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना” के अंतर्गत पूर्व से निर्मित एवं जर्जर पुल के स्थान पर नए पुल, Missing Bridge, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल, पहुँच पथ, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से अच्छादित योजनाओं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में की गयी घोषणा से संबंधित पुलों तथा पहुँच पथों का निर्माण ग्रामीण पथ के आरेखन में किया जाना है। इन पुलों एवं पथों के निर्माण में आमजनों को निर्बाध एवं बारहमासी सम्पर्कता मिलेगा एवं राज्य के किसी कोने में अधिकतम पाँच घंटे में राजधानी पहुँचने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या 3012 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा **“मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना”** लगभग नौ वर्षों बाद पुनः आरम्भ की गयी।

इस योजनान्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3012 दिनांक 13.09.2024 की कंडिका संख्या-04 के अनुसार 100 मी० तक के लम्बाई के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग एवं 100 मी० से अधिक लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

यह पाया गया है कि 100 मी० से अधिक लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा कराये जाने पर विभाग द्वारा प्रदत्त Overhead Charge में एकरूपता नहीं रह जायेगी। इस उद्देश्य से पूर्व में लागू **“मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना”** के मूल संकल्प में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.04.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-09 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में संकल्प संख्या-मु०अ०(नि०) रा०यो०—561/2024—3012 दिनांक 13.09.2024 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:—

1. कंडिका-4 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध सम्पर्कता के लिए पुल-पुलियों / पथों के निर्माण का प्राथमिकता निर्धारण संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री की

अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के द्वारा किया जायेगा जिसका स्वरूप मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या सह पठित ज्ञापांक प्र० 8/पुल (प्राक्कलन)-08-10/2006-6801(S) दिनांक 01.07.2006 के कंडिका 2.2 के अनुरूप रहेगा। ग्रामीण पथ आरेखनों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत सभी लम्बाई के पुलों के निर्माण प्रशासी विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा। राशि की उपलब्धता के अनुसार विभाग द्वारा चयन कर एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

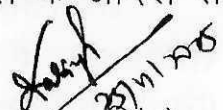
2. ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आरेखन में निर्बाध सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य के लिए निर्गत विभागीय संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक मु० अ० (नि०) रा० यो० - 561/2024 - 3012 दिनांक 13.09.2024 को उपरोक्त संशोधन के साथ इस हद तक संशोधित की जाती है, शेष शर्त एवं नियम, कंडिका यथावत् रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए **"मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना"** [Mukhya Mantri Gramin SETU Yojana (MGSY)] के लिये निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- मु०अ० (नि०) रा०यो०-561/2024-3012 दिनांक 13.09.2024 में अंकित प्रावधान को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

नोट:- उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए **"मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना"** [Mukhya Mantri Gramin SETU Yojana (MGSY)] के प्रावधान में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.04.2025 की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

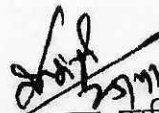
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

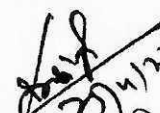
ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 1516 / पटना, दिनांक:-25/04/25
प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

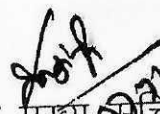
ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 1516 / पटना, दिनांक:-25/04/25
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 1516 / पटना, दिनांक:-25/04/25
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ
विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 1516 / पटना, दिनांक:-25/04/25
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम
राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी
विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 1516 / पटना, दिनांक:-25/04/25
प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षक
अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय
स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024-1516 /पटना, दिनांक:- 25/04/25
प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री
के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024-1516 - अपर मुख्य सचिव 25/04/25
प्रतिलिपि :- आई० टी मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव